137

न्यायालयः- राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1387-दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.08.2011 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना, के प्रकरण क्रमांक 168/2010-11 निगंरानी

हरवंश सिंह पुत्र हजाब सिंह उर्फ हजारा सिंह कम्बोज सिक्ख निवासी ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर म.प्र. द्वारा पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर वचन सिंह पुत्र संता सिंह कम्बोज सिक्ख निवासी ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

--- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

--- अनावेदक

.....

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी धाकड़)

(अनावेदक के शासकीय अधिवक्ता डी.के. शुक्ला उपस्थित)

.....

आ दे श

(आज दिनांक 7-10-16 को पारित)

आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 168/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.08.2011 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है। कि ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर की भूमि सर्वे नम्बर 96/5 रकवा 10 बीघा अर्थात 2.00 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है)

भूमि पर आवेदक का कब्जा दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से होने के कारण कब्जे के आधार पर (विशेष उपबन्ध अधिनयिम 1984) से काबिज होकर अधिपत्यधारी हैं। जिसका इन्द्राज खसरा के खाना नम्बर 12 राजस्व अभिलेख में रहा है। जिसके आधार पर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण क्रमांक 13/अ–86/2004–05 उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जा कर विधिवत् उद्घोषणा जारी की गई। आपत्ति आहूत की गई। समयावधि में कोई आपत्ति नहीं आई तथा ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त कर पटवारी हल्का से स्थल जॉंच कराई गई। पटवारी के कथन लिये जा कर आवेदक स्वयं के कथन कराये जा कर स्वतंत्र साक्ष्य ली जा कर विधिवत् नियमों का पालन करते हुये आवेदक के हित में विधिवत् व्यवस्थापन आदेश दिनांक 05.09.2005 से पारित किया गया। अनावेदका क्रमांक 1 व 2 द्वारा कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर के समक्ष शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा कर उक्त शिकायत के आधार पर न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 18/2010–11/स्व.निगरानी पर पंजीवद्ध किया जा कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। आवेदक की ओर से प्रकरण में कोई जवाब् प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28.06.2011 से आवेदक के जवाब का अवसर समाप्त किया गया। कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश के बिरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के समक्ष प्रकरण क्रमांक 168/2010–2011/निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी को आदेश दिनांक 02.08.2011 से सारहीन मान कर निरस्त की गई। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम

मायापुर तहसील व जिला श्योपुर की भूमि सर्वे नम्बर 96/5 रकवा 10 बीघा 2.00हैक्टर पर आवेदक काबिज होकर अधिपत्यधारी है जिसका इन्द्राज खसरा के खाना नम्बर 12 राजस्व अभिलेख में रहा है। आवेदक का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हटा दिया गया है। अनावेदक कमांक 3 द्वारा बिना किसी आवेदन पत्र के प्रकरण कमांक 13/अ–86/2004–05 पर पंजीवद्ध होना बताकर पट्टा होना बताया है। परन्तु प्रकरण दायरा पंजी में नहीं है, परन्तु अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा फर्जी शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीवद्ध किया जा कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। आवेदक की ओर से प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब का हक दिनांक 28.06.2011 समाप्त करते हुये, प्रकरण में अंतिम तर्क हेतु पेशी दिनांक 02.08.2011 नियत की गई। आवेदक की ओ से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा कर निवेदन किया गया कि, तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं की है, और ना ही आवेदक के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित करने में कोई कानूनी भूल की नहीं की है। इस कारण आवेदक की निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित नहीं माना जा सकता है।

5/ आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के आदेश दिनांक 02.08.2011 के अवलोकन पर यह भी पाया गया है। उन्होने अवैध प्रविष्टि के आधार पर आवेदक के कब्जे को नहीं मानने में निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है। जबकि, अनावेदक कमांक 1 व 2 के द्वारा शिकायत दिनांक 21.07.2011 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर द्वारा तहसील न्यायालय जिला श्योपुर प्रकरण कमांक 13/अ–86/2004–05 भूमि सर्वे कमांक 96/5 रकवा 10 बीघा अर्थात 2.00हैक्टर भूमि का पट्टा दायरा पंजी में पंजीवद्ध होने के कारण विधिवत् आदेश पारित किया है। इस कारण अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अनावेदक कमांक 3 कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर के समक्ष फर्जी शिकायत दिनांक 21.07.2011 से स्व.निगरानी में की गई कार्यवाही एवं आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसका विधिवत् जवाब

प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक का दिनांक 28.06.2011 से जवाब का हक समाप्त करने में कानूनी भूल की है। इस कारण आवेदक की निगरानी विधिवत् होने से स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जा कर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त कियां जाता है एवं न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2010–1/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.06.2011 निरस्त किया जा कर न्यायालय तहसीलदार श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2005 यथावत् रखते हुये आवेदक का नाम पूर्वत् भूमि स्वामी मान्य करते हुये राजस्व अभिलेख में नाम अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर